

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 55/2017 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 18.07.2017

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टुकराई, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये
प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री रमेश चन्द जैन पुत्र श्री शान्ति लाल जैन ग्राम श्रीनगर, पोस्ट टुकराई,
वाया-बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़
- 2-श्री मांगीलाल धाकड़ पुत्र श्री चुन्नी लाल धाकड़ ग्राम श्रीनगर, पोस्ट टुकराई,
वाया-बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़
- 3-श्री नन्द किशोर धाकड़ पुत्र श्री कन्हैया लाल धाकड़ ग्राम श्रीनगर, पोस्ट टुकराई,
वाया-बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री भानू प्रकाश मिश्रा, अधिवक्ता प्रार्थी बैंक

आदेश

दिनांक 07.11.2017

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत
किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को
राशि रुपये 13,48,000/- रु. की ऋण सुविधा ओवर ड्राफ्ट लोन के बाबत उपलब्ध
कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति
को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी
बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम
की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया
राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये।
विपक्षी संख्या 2 व 3 गारण्टर ने दिनांक 29.08.2017 को उपस्थित होकर जवाब
प्रस्तुत किया कि ऋणी की सम्पत्ति को कुर्की का आदेश जारी किया जाता है तो

प्रकरण संख्या 55/2017 (रे.वि.)
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा टुकराई बनाम श्री रमेश चन्द जैन ग्राम श्रीनगर पो. टुकराई बगैरा

जमानतदार को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी संख्या 1 ऋणी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 2 व 3 भी जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात् उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण प्रार्थी सुनी गयी।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्री रमेश चन्द जैन पुत्र श्री शान्ति लाल जैन की ग्राम श्रीनगर, पोस्ट टुकराई, वाया-बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट)

पूर्व में :- रास्ता	पश्चिम में :- पार्क भूमि
उत्तर में :- श्री शिवलाल धाकड़ की सम्पत्ति	दक्षिण में :- नन्द किशोर का प्लाट

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 30.11.2016 तक राशि रुपये 16,89,855/-रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(इन्द्रजीत सिंह)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़